भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4662

20 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

बिहार में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

4662. श्री अभय कुमार सिन्हाः

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औरंगाबाद जिले सहित बिहार में भूतपूर्व सैनिकों और विधवाओं के लिए रक्षा क्षेत्र की कल्याणकारी योजनाओं, पेंशन संवितरण और ईसीएचएस सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का बिहार में कोई नई रक्षा विनिर्माण इकाई या कॉरिडोर परियोजना स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा बिहार में भर्ती रैलियों की संख्या बढ़ाने और रक्षा क्षेत्र संबंधी सेवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) केंद्रीय सैनिक बोर्ड (केबीएस) एवं पुनर्वास महानिदेशालय पूर्व-सैनिकों(ईएसएम)/विधवाओं/युद्ध विधवाओं एवं उनके आश्रितों को कल्याणकारी योजनाएं/लाभ प्रदान करते हैं। विवरण अनुबंध-I एवं अनुबंध-II में संलग्न हैं। पेंशन संवितरण के संबंध में, वर्ष 2025 में पेंशनभोगियों की पेंशन हकदारी के रूप में औरंगाबाद जिले के 1097 सशस्त्र सेना पेंशनभोगियों को 44.32 करोड़ रुपए एवं बिहार के 1,26,906 सशस्त्र सेना पेंशनभोगियों को 4,679.86 करोड़ रुपए की राशि का संवितरण किया गया। ईसीएचएस सुविधाओं के संबंध में, पूर्व-सैनिकों को नकदी-रहित एवं

कैपलेस स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए बिहार राज्य में 19 ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक एवं संबद्ध अस्पतालों का एक विशाल नेटवर्क कार्य कर रहा है।

(ख) जी नहीं महोदय।

(ग) 'डायरेक्टोरेट ऑफ इंडक्शन एंड सेलेक्शन इन ए हॉलिस्टिक अप्रोच' (दिशा) ने बिहार राज्य में क्रमशः 14 जून 2025 को पटना में, 28 अक्टूबर 2025 को दरभंगा में एवं 05 दिसंबर 2025 को बिहटा में प्रेरणादायी व्याख्यान एवं एकैक संवाद आयोजित किया। भारतीय सेना के अफसरों एवं सैनिकों के लिए राज्य-निरपेक्ष अखिल भारतीय भर्ती प्रक्रिया विद्यमान है।

"बिहार में भूतपूर्व सैनिकोंं हेतु कल्याणकारी योजनाओं" के संबंध में दिनांक 20.03.2026 के लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4662 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-I

1. **सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि के माध्यम से -**

क्रम सं.	**अनुदान**	**राशि (रुपए में)**
1	**निर्धनता अनुदान** (65 वर्ष और इससे अधिक) (हवलदार रैंक तक के गैर-पेंशनभोगी)	8000/- रुपए प्रति माह
2	**शिक्षा अनुदान** (दो बच्चों तक) (i) बालक/बालिकाएं, स्नातक स्तर तक (ii) विधवाएं, स्नातकोत्तर तक (हवलदार रैंक तक के पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी) और दो बच्चों तक	2000/-रुपए प्रति माह
3	**नि:शक्त बच्चों के लिए अनुदान** (जेसीओ रैंक तक के पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी)	3000/- रुपए प्रति माह
4	**पुत्री के विवाह के लिए अनुदान** (02 पुत्रियों तक) (हवलदार रैंक तक के पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी)	1,00,000/-रुपए
	विधवा पुनर्विवाह अनुदान (हवलदार रैंक तक के पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी)	
5	**चिकित्सीय उपचार अनुदान** (हवलदार रैंक तक के गैर-पेंशनभोगी)	50,000/-रुपए (अधिकतम)

6	**अनाथ संबंधी अनुदान** (सभी रैंक के पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी) • विवाह हो जाने तक भूतपूर्व सैनिकों की पुत्रियां • वर्ष की आयु तक भूतपूर्व सैनिक का 21 एक पुत्र	3000/-रुपए प्रति माह
7	**विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान** (हवलदार रैंक तक के पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी)	50,000/-रुपए (एकबारगी)
8	**निम्न सूची अनुसार गंभीर बीमारियां:-** एंजीयोप्लास्टी एवं एंजीयोग्राफी, सीएबीजी, ओपन हार्ट सर्जरी, वॉल्व रीप्लेसमेंट, पेसमेकर इम्प्लांट, सेरेब्रल स्ट्रोक, प्रोस्ट्रेट सर्जरी, जॉइन्ट रीप्लेसमेंट और रीनल फेल्योर। **अन्य बीमारियां:** डायलिसिस और कैंसर उपचार (सभी रैंकों के गैर-पेंशनभोगी ईएसएम/विधवाओं/ईएसएम की पत्नी के आश्रितों पर लागू होता है)	अधिकारियों और पीबीओआर के लिए कुल व्यय का क्रमश: 75% और 90% अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक। अधिकारियों तथा पीबीओआर के लिए कुल व्यय का क्रमश: 75% और 90%। कैंसर और डायलिसिस के लिए प्रतिवर्ष अधिकतम 75,000/- रुपए तक।
9	**जेसीओ रैंक तक के नि:शक्त भूतपूर्व सैनिकों के लिए मॉडिफाइड स्कूटर:** ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनकी सेवा के बाद नि:शक्तता	1,00,000 रुपए (10 वर्षों के बाद पुन:

	50% या उससे अधिक है	आवेदन)
10	**जेसीओ रैंक तक आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी:** युद्ध में शहीद सैनिकों के परिजनों, युद्ध में नि:शक्त हुए तथा शांतिकाल में हताहत हुए सैनिकों के लिए मकान-निर्माण हेतु एलआईसी/जीआईसी और हुडको सहित बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों आदि द्वारा लिए गए ब्याज की 50% धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाती है।	अधिकतम 1,00,000 रुपए (एकबारगी)

2. **प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति स्कीम:** पाठ्यक्रमों की सम्पूर्ण अवधि के लिए योग्यता के आधार पर पात्र बच्चों को सालाना कुल 5500 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्तियों की दरें निम्नवत हैं:-

(क) बालकों के लिए प्रतिमाह 2500/- रुपए।

(ख) बालिकाओं के लिए प्रतिमाह 3000/- रुपए।

3. भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास में संलग्न संस्थाओं को वित्तीय सहायता:-

क्रम सं.	**संगठन**	**सहायता/अनुदान की प्रमात्रा**
1	**पैरेप्लेजिक रीहैबिलिटेशन सेन्टर** (i) किर्की (ii) मोहाली	**स्थापना अनुदान (प्रतिवर्ष)** (i) 1.20 करोड़ रुपए (अप्रैल 2016 से) (ii) 10 लाख रुपए (अप्रैल 2015 से) 30,000/- प्रतिवर्ष प्रति संवासी

2	अखिल भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ, देहरादून	12 लाख रुपए प्रति वर्ष (वित्त वर्ष 2026-27 से बढ़ाकर 18 लाख रु. प्रतिवर्ष कर दिया गया है)
3	**चेशायर गृह** (i) लखनऊ (ii) देहरादून (iii) दिल्ली	15,000/- रुपए प्रतिवर्ष प्रति संवासी
4	**युद्ध स्मारक छात्रावास:** 36 ऐसे डब्ल्यूएमएच हैं जो युद्ध विधवाओं/युद्ध निःशक्तों, आरोप्य तथा अनारोप्य मामलों में बच्चों को आश्रय प्रदान कर रहे हैं।	1350/- रुपए प्रति बच्चा प्रतिमाह

4. **भारत सरकार के नामिती के रूप में रक्षा कार्मिकों के बच्चों के लिए मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में सीटों का आरक्षण:** भारत सरकार के नामिती के रूप में रक्षा कार्मिकों के बच्चों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केएसबी को एमबीबीएस की कुल 42 सीटें और बीडीएस पाठ्यक्रमों की 3 सीटें आवंटित की गई थी।

"बिहार में भूतपूर्व सैनिकों हेतु कल्याणकारी योजनाओं" के संबंध में दिनांक 20.03.2026 के लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4662 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-II

भूतपूर्व सैनिकों हेतु भूतपूर्व सैनिक पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा प्रदान किए गए कल्याणकारी उपायों का विवरण

क्रम सं.	योजनाओं के नाम	योजनाओं का विवरण
1.	**डीजीआर प्रायोजित सुरक्षा एजेंसी योजना**	डीजीआर विभिन्न सीपीएसई और किसी भी कॉर्पोरेट घरानों, निजी क्षेत्र के उपक्रमों को आवश्यकतानुसार सुरक्षा गार्ड प्रदान करने के लिए ईएसएम द्वारा संचालित निजी सुरक्षा एजेंसियों और राज्य ईएसएम निगमों को सूचीबद्ध/प्रायोजित करता है।
2.	**डीजीआर तकनीकी सेवा योजना**	डीजीआर, सूचीबद्ध राज्य ईएसएम निगमों के माध्यम से सरकारी स्थापना/परिसर को 'तकनीकी सेवाओं' के लिए भूतपूर्व सैनिकों के रूप में जनशक्ति प्रदान करता है। यह योजना हाल ही में शुरू की गई है।
3.	**ईएसएम कोयला लदान और परिवहन योजना (केवल अधिकारियों के लिए)**	यह योजना कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और डीजीआर के बीच समझौता ज्ञापन के आधार पर चलाई जाती है। अभी यह योजना फिर से शुरू हो रही है।
4.	**ईएसएम के लिए कोल टिप्पर अटैचमेंट योजना (जेसीओ/ओआर के लिए)**	यह योजना ईएसएम कोयला लदान और परिवहन योजना से जुड़ी है।
5.	**विधवाओं और दिव्यांग सैनिकों के लिए टिप्पर अटैचमेंट योजना**	65 वर्ष तक की विधवाएं और 50**%** या उससे अधिक की दिव्यांगता वाले सैनिक इस योजना में नामांकन करने के लिए पात्र हैं। यह योजना ईएसएम कोयला लदान और परिवहन योजना से जुड़ी है।

6.	**तेल विपणन कंपनियों द्वारा 8% आरक्षण कोटे के अंतर्गत विज्ञापित एलपीजी/खुदरा आउटलेट (पेट्रोल/डीजल) डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के लिए डीजीआर पात्रता प्रमाणपत्र जारी करना**	ईएसएम, जिनमें युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाएं/आश्रित, युद्ध में दिव्यांग हुए/संक्रियात्मक क्षेत्र में सेवा करते समय दिव्यांग हुए सैनिक, सैन्य सेवा पर आरोप्य अथवा उसके कारण बड़े गंभीर कारणों से शहीद हुए सैनिकों की विधवाएं/आश्रित और सैन्य सेवा पर आरोप्य अथवा उसके कारण बड़े गंभीर कारणों से शांतिकाल में दिव्यांग हुए पूर्व सैनिक शामिल हैं, इस योजना के लिए पात्र हैं।
7.	**कंपनी के स्वामित्व में कंपनी द्वारा संचालित रिटेल आउटलेट्स का प्रबंधन**	इच्छुक ईएसएम (अधिकारी) और जेसीओ**,** जिन्होंने कोई अन्य सरकारी/डीजीआर लाभ नहीं लिया है**,** को तेल कंपनी द्वारा की गई मांग के आधार पर सीओसीओ के लिए प्रायोजित किया जाता है**,** ताकि तेल कंपनी भविष्य में उनका चयन कर सके।
8.	**एनसीआर/पुणे में ईएसएम द्वारा आईजीएल/एमएनजीएल सीएनजी स्टेशनों का प्रबंधन**	इस योजना में पंजीकृत इच्छुक ईएसएम को आईजीएल (नई दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र) और एमएनजीएल (पुणे/नासिक) से मांग प्राप्त होने पर प्रायोजित किया जाता है।
9.	**एनसीआर में मदर डेयरी मिल्क बूथ और फल व सब्जी (सफल) की दुकानों का आवंटन**	ईएसएम को 60 वर्ष की आयु तक अलग से मिल्क / सफल (फल और सब्जी) बूथ के लिए पंजीकृत किया जाता है। वे इन आउटलेट्स का संचालन करते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं / व्यवसाय के संबंध में उद्यमिता सीखते हैं।
10.	**प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) योजना में भूतपूर्व-सैनिकों को शामिल करना**	भारत सरकार की योजना, **प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी),** का उद्देश्य सभी देशवासियों को सस्ती दवाइयां प्रदान करने के लिए राष्ट्र भर में जेनरिक दवा फार्मेसियां स्थापित करना है। 2 लाख रुपए के एकबारगी अनुदान का विशेष प्रोत्साहन जो कि यथा लागू सामान्य प्रोत्साहनों

		(मासिक खरीद के 20% की दर से, अधिकतम सीमा-20,000 रु. प्रति माह) के अतिरिक्त है, महिला उद्यमियों, दिव्यांग, अजा, अजजा तथा आकांक्षी जिलों (पिछड़े जिलों) में खुली फार्मेसियों को फर्नीचर तथा साजो सामान, कम्प्यूटरों, इंटरनेट, प्रिंटर, स्कैनर आदि को प्रतिपूर्ति के तौर पर प्रदान किया जाता है। औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार की फा. सं. 35030/29/2022-योजना के अनुसार योजना में शामिल होने वाले भूतपूर्व सैनिकों के लिए विशेष प्रोत्साहन के अनुदान को मंजूरी दी गई है। इस योजना को डीजीआर द्वारा पीएमबीआई के सहयोग से जून 2023 में आरंभ किया गया था।
11.	**पुनर्वास प्रशिक्षण / कौशल विकास पाठ्यक्रम**	डीजीआर का प्रशिक्षण निदेशालय**,** भारतीय सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त हो रहे/सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए पुनर्वास/कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के आयोजन और संचालन के लिए उत्तरदायी है**,** ताकि असैनिक क्षेत्र में सुचारू पारगमन और उपयुक्त रोजगार के लिए उनके कौशल स्तर को बढ़ाया जा सके। (कक) **अधिकारियों के लिए** - 60**%** पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान रक्षा मंत्रालय/डीजीआर द्वारा किया जाता है, जबकि 40**%** का भुगतान प्रत्येक अधिकारी द्वारा किया जाता है। अधिकारियों की विधवाएं भी ऊपर दिए गए पाठ्यक्रम के लिए पात्र हैं। (कख) **जेसीओ/ओआर और समकक्ष के लिए** - 100**%**

		पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान रक्षा मंत्रालय/डीजीआर द्वारा किया जाता है। जेसीओ/ओआर की विधवाएं, डीजीआर प्रायोजित पाठ्यक्रम हेतु पात्र हैं।
